म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय, टी0टी0 नगर, भोपाल

वाहन नीलामी की नियम व शर्ते

1. म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, के वाहन ''जहॉ है, जैसी है'' की स्थिति में बंद निविदा से विक्रय किया जाना है ।
2. वाहनो की बंद नीलामी समिति के समक्ष दिनांक **23/07/2024** को बैंक मुख्यालय में पूर्वान्ह 1.00 बजे आमंत्रित बंद निविदा खोली जावेगी। निविदाकर्ता अपने साथ एक या अधिकतम दो व्यक्तियों को नीलामी स्थल पर ला सकता है ।
3. इच्छुक पार्टी/व्यक्ति को वाहन की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रत्येक वाहन हेतु पृथक–पृथक धरोहर राशि देय होगी जिसके अंतर्गत चारों वाहनों हेतु पृथक –पृथक से रू. 20,000/– (रू. बीस हजार मात्र) का ड्राफट प्रभारी प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, के नाम से जारी कर जमा करें , आवेदन पत्र के साथ ड्राफट संलग्न करते हुये दिनांक **18/07/2024** को दोपहर **5.00** बजे तक जमा करना अनिवार्य है ।
4. वाहनों के विक्रय हेतु आफसेट मूल्य(प्रारक्षित मूल्य) से कम राशि की बोली स्वीकार नही की जावेगी । विक्रय किये जाने वाले वाहनो का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	**वाहन क्रं**	**मेक**	**वर्ष**	**ईंधन**	**अवयक्षित मूल्य 31.03. 24 पर**	**ऑफसेट मूल्य**
1.	MP04CH 9068	Swift Dezire	2012	Petrol	80110.70	1,95,000.00
2.	MP04CJ8823	Bolero	2012	Diesel	108671.42	2,25,000.00
3.	MP04CJ8828	Bolero	2012	Diesel	108671.42	2,20,000.00
4.	MP04CG6940	Bolero	2011	Diesel	77167.94	1,80,000.00

(उपरोक्त वाहनो का रोड टैक्स लाईफ टाईम पैड है।)

निविदा आवेदन पत्र पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिये, जिसके नाम से वाहन अंतरित होना है ।

5. वाहन विक्रय की ऑफर राशि स्वीकृत होने की दशा में उच्चतम बोलीकर्ता की धरोहर राशि ही समायोजित की जावेगी एवं अन्य बोलीकर्ताओ की धरोहर राशि वापिस कर दी जावेगी ।
6. वाहन विक्रय का आफर स्वीकृत होने पर , वाहन विक्रय की एकमुश्त राशि वाहन क्रेता को बैंक के द्वारा ऑफर पत्र देने के पश्चात् सात दिवस में जमा कराना अनिवार्य होगा एवं वाहन ''जहॉ है, जैसी है'' की स्थिति में उक्त स्थान से उठाना अनिवार्य है अन्यथा निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि राजसात की जाकर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता को ऑफर की गई राशि पर प्रबंध संचालक के द्वारा यदि स्वीकृति दी गई तो वाहन विक्रय किया जावेगा । अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त की जाकर पुनः नीलामी की प्रक्रिया की जावेगी ।
7. बोलीकर्ता का आफर स्वीकृत होने के पश्चात् कार्यालय से बोलीकर्ता के नाम से ही वाहन का केवल विक्रय पत्र दिया जावेगा । **विक्रित वाहन का आधिपत्य क्रेता द्वारा नाम ट्रांसफर कराये जाने के उपरांत बैंक के द्वारा दिया जावेगा** । आर.टी.ओ. कार्यालय आदि से संबंधित समस्त औपचारिकतायें क्रेता को स्वयं के व्यय पर कराना होगी ।
8. विक्रय योग्य वाहन म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय परिसर, टी.टी. नगर, भोपाल में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक(अवकाश के दिवसों को छोड़कर) देखे जा सकते है।
9. प्रत्येक वाहन के लिये पृथक–पृथक आवेदन प्रपत्र बंद निविदा एवं पृथक–पृथक धरोहर राशि का ड्राफट जमा करना अनिवार्य होगा ।
10. विक्रित वाहन का बीमा क्रेता व्दारा कराया जावेगा, बीमा ट्रांसफर नहीं किया जावेगा क्रेता को नवीन बीमा कराकर बीमा की पॉलिसी की छायाप्रति वाहन सुर्पदगी के सात दिवस में बैक को देना होगा।
11. बिना कोई कारण बताये नीलामी स्थगित करने या तिथि परिवर्तन करने का अधिकार ''प्रभारी प्रबंध संचालक'' म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित'' को होगा ।
12. वाहन क्रेता व्दारा वाहन मूल्य के साथ समस्त जीएसटी, शासकीय करो एवं उपकर आदि का भुगतान पृथक से किया जाना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का क्षेत्र माननीय सहकारी न्यायालय, भोपाल मध्यप्रदेश रहेगा ।

प्रभारी प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित